FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) [stamp] मुकाम ....

चैनाराम बनाम मुराराम वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा० आवेदन 111,128 RLR Act नं. 45 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/3/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम गावड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111,128 RLR Act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 18/3/20 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
18/3/2020	प्रार्थी वकील उप०। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। न्यायालय समय में तीन बार आवाज लगाई गई, अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई। विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी वकील ने निवेदन किया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि [illegible] प्रार्थी की खातेदारी भूमि के [illegible] मार्ग एवं [illegible] आविधा की [illegible] [signature] 18.3.20	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:43:06 IST
Reason: SelfAttested

वर्षांत होने पर कि प्रार्थीगण प्रार्थी की जोत
भूमि पर खेती कर लेते हैं, जिससे पक्षकारों
के बीच तनाजा बना रहता है इस कारण प्रार्थी
को अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाना
आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन
स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन
स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर
एवं सम्बंधित भू.अ. निरीक्षक को सहायक कमीशनर
नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप
स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी की खातेदारी
भूमि की पक्की नेखमबंदी मौके पर नियमानुसार
कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें। पालना
रिपोर्ट पेश होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली
फैसल शुमार हो दर्ज रजिस्टर से कम हो, दाखिल
दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर) 16.3.2020

सहायक कलेक्टर
बायतु

.../ वाद / 2020

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:43:06 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2020/334 दिनांकः– 18/3/2020

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. चैनाराम पुत्र कोहलाराम जाति जाट निवासी झाक तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. भूराराम पुत्र पोकरराम वगैरा निवासी झाक तहसील बायतु जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 45/20

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा झाक पटवार हल्का झाक तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 448/112 रकबा 20.5648 हैक्टर बिस्वा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2020/335-39 दिनांकः– 18/3/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी झाक को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री चैनाराम
4. विप्रार्थीगण श्री भूराराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा/बायतु/नागाणा ।

18.3.2020

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:43:06 IST
Reason: SelfAttested